

बिहार सरकार  
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-सं0का0-1/वि0मं0, विविध-11/2008(खण्ड)-1053/पटना, दिनांक-02.06.2010

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम आर आरंभ। - (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।  
(2) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।
2. बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का नियम 17(4) का पतिस्थापन। -

उक्त नियमावली का नियम 17(4) के स्थान पर निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाय :-

“(4) बिहार विधान मण्डल का पूर्व सदस्य एक सहयात्री के साथ प्रथम ए0सी0/द्वितीय ए0सी0/तृतीय ए0सी0/स्लीपर क्लास में प्रत्येक वर्ष 75000/- रुपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगा।”

परंतु, वैसे पूर्व सदस्य जो, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, तो भी रेलवे कूपन पर यथा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यात्रा के हकदार होंगे;

परंतु और कि, वे रेलवे कूपन पर की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र यथास्थिति, सचिव, विधान सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(पंचम लाल)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-1/वि0मं0, विविध-11/2008(खण्ड)-1053/पटना, दिनांक-02.06.2010

प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-1/वि0मं0, विविध-11/2008(खण्ड)-1053/पटना, दिनांक-02.06.2010

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अधिसूचना की 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रधान सचिव।